[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 37/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 अगस्त, 2023

सा.का.नि. ....(अ)--केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.577 (अ) तारीख 31 जुलाई, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 34/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः-

(i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामाकंन संख्या का आबंटन किया गया है;

(ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा ; और

(iv) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल पूर्ति में बहु इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंर्तवर्लित है, " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " से ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रुप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा ।

3. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक